कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मनरेगा वाद संख्या–109/2015–16 मु0 कलावति एवं अन्य बनाम पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–तुरकौलिया (पश्चिमी) मुखिया, तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता और कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया।

वाद का वर्णन

परिवादीगण मु0 कलावती एंव अन्य 49 ग्राम–कोटैया, ग्राम पंचायत राज–तुरकौलिया पश्चिमी, प्रखंड–तुरकौलिया द्वारा आवेदन दिया गया है कि मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2011–12 में विभिन्न योजनाओं में वनपोषकों के रुप में मजदूर के रुप में काम किया है, जिसका मजदूरी का भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है, जिसे भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

कार्रवाई/सुनवाई

अतः उक्त आवेदन के आलोक में वाद दायर कर पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–तुरकौलिया पश्चिमी, पंचायत तकनीकी सहायक, मुखिया, कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को नोटीस जारी किया गया। पंचायत रोजगार सेवक, तुरकौलिया पश्चिमी और कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जवाब दिया गया हे, जो निम्न प्रकार है। (क्र0 सं0 1 से 50 तक विवरणी संचिका में संलग्न है)

क्र0	आवेदक का नाम	जॉबकार्ड सं0	कार्य दिवस	कुल मजदूरी	अभ्युक्ति
01	हाजरा खातुन	1432	70	10,080.00	क्र0 सं0 01 से 14 तक के सभी मजदूरी का भुगतान किया गया
02	शेख समुदीन	1046	98	14,112.00	
03	खलील मियाँ	185	98	14,112.00	
04	शे0 युनूस	320	98	14.112.00	
05	शे0 इस्लाम	1176	98	14,112.00	
06	सीताराम पासवान	319	84	11,424.00	
07	जैनब खातुन	1072	98	14,112.00	
08	जुलैसा खातुन	671	98	14,112.00	
09	चन्द्रावती देवी	1544	84	11,424.00	
10	हसमुल्लाह	1038	70	10,080.00	
11	हुस्नैना	1049	98	14,112.00	
12	फूलमती देवी	630	98	14,112.00	
13	प्रभू पासवान	1270	56	8,064.00	
14	सविता देवी	1443	42	6,048.00	
15	रामप्रकाश पासवान	649	56	8,064.00	
16	नायजा खुतन	1429	56	8,064.00	
17	मुखलाल पासवान	354	56	8,064.00	

18	अरफाना खातुन	1219	51	7,344.00	15 से 53 तक मजदूरों का मजदूरी बकाया है।
19	सैरुन नेशा	1744	56	8,064.00	
20	रुपेश पासवान	1549	98	14,112.00	
21	झगरु सहनी	341	56	8,064.00	
22	चकचन सहनी	646	56	8,064.00	
23	गायत्री देवी	1582	61	8,784.00	
24	मैना देवी	1087	61	8,784.00	
25	सविला खातुन	1269	56	8,064.00	
26	शहनाज खातुन	953	56	8,064.00	
27	तमन्ना खातुन	1214	56	8,064.00	
28	मु0 शमकली	1032	19	2,736.00	
29	मोहम्म्द अली	625	19	2,736.00	
30	सइदा खातुन	1065	56	8,064.00	
31	ललीता देवी	1546	56	8,064.00	
32	नसीर अहमद	654	30	4,320.00	
33	रब्बुदीन अंसारी	940	98	14,112.00	
34	प्रभू पासवान	1270	28	4,032.00	
35	महबुब आलम अंसारी	1528	56	8,064.00	
36	शमसाद अली	660	56	8,064.00	
37	रामनाथ पासवान	908	98	14,112.00	
38	सुगान्ती देवी	1066	51	7,344.00	
39	उमरावती देवी	1082	98	14,112.00	
40	शे0 नसरुल्लाह	1317	60	8,640.00	
41	आमना खातुन	963	31	4,464.00	
42	आलम अंसारी	938	60	8,640.00	
43	सुरेन्द्र चौधरी	810	60	8,640.00	
44	मु0 कलावती देवी	1588	30	4,320.00	
45	नौसाद आलम	1495	31	4,464.00	
46	शे0 कलाम	605	60	8,640.00	
47	सहनाज खातुन	942	51	7,344.00	
48	रामनरेश पासवान	624	48	6,912.00	
49	गोपाल पासवान	05	70	10,080.00	
50	शे0 फूना	923	60	8,640.00	
51	शहनाज खातुन	627	60	8,640.00	
52	गणेश चौधरी	1750	70	10,080.00	
53	उमेश चौधरी	1795	70	10,080.00	
54	शिवरती देवी				इनके द्वारा कार्य करने की पुष्टि नहीं हुई है।
55	मीना देवी				
56	दाउद इब्राहिम एवं अन्य				

विचारणीय बिन्दु

(1) क्या परिवादीगण द्वारा मनरेगा में कार्य किया गया है ?

(2) क्या परिवादीगण को मजदूरी का भुगतान किया गया है ?

निष्कर्ष / निर्णय

पत्रावली और पंचायत रोजगार सेवक, तुरकौलिया पश्चिमी कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया द्वारा समर्पित विस्तृत जाँच प्रतिवेदनों एवं प्रस्तुत लेखा अभिलेखों से ज्ञात होता है कि क्रम0 सं0–1 से 14 तक सभी मजदूरों का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु परिवादी को प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः परिवादी अपना पास बुक बैंक से अद्यतन कराकर राशि की निकासी करें अन्यथा पुनः इस संबंध में परिवाद दाखिल कर सकते है। संभवत् खाता डोरमेट होने के कारण निकासी बाधित रहती है, जिसे दूर कर अर्थात खाता को नियमतः चालू कर राशि प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तुत विवरणी के क्रम सं0–15 से 53 तक के परिवादीगण के राशि के अभाव में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था, बताया गया। तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्य के प्रति लापरवाही परिलक्षित होता है। उनके द्वारा मजदूरी भुगतान हेतु कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई, ताकि मजदूरी का भुगतान किया जा सके। बाद की नोटिस की तिथियों में भी अनावश्यक रुप से अनुपस्थित रहते थे, जिस संबंध में उनके वरीय पदाधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु भी लिखा गया है, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः विभागीय स्तर पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।

अतः परिवादीगण द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में मनरेगा के विभिन्न योजनाओं में मजदूर के रुप में कार्य किया गया है परन्तु उनको देय मजदूरी की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची II में पारा–29 के अनुसार मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाय।

पुनः प्रस्तुत विवरणी के क्रम सं0–54 से 56 तक परिवादीगणों द्वारा मजदूर के रुप में कार्य करने की पुष्टि नहीं हो पायी है। अगर परिवादियों के पास उनके कार्य करने से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य हो तो लोकपाल को उपलब्ध करावे, जिस पर पुनः सज्ञान लेते हुए मजदूरी का भुगतान कराया जाएगा।

पंचाट / अधिनिर्णय

1. कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया को आदेश दिया जाता है कि परिवादी का बकाया मजदूरी भुगतान क्षतिपूर्ति राशि के साथ यथाशीध्र किया जाय।
2. क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली, विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाय।
3. ससमय ए0टी0आर0 से संसूचित किया जाय।

30/8/18

लोकपाल (मनरेगा)

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

O/C

30.8.18

ज्ञापांक–.....49...... / दिनांक–...30-8-18...

प्रतिलिपि :– **प्रधान सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा)–सह–जिलाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **निदेशक,एन0ई0पी0–सह–निधि प्रबन्धक**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, तुरकौलिया / पंचायत रोजगार सेवक, तुरकौलिया पश्चिमी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

30-8-18

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

30.8.18